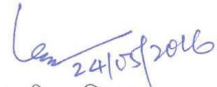


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम, पिपरी-सोनभद्र द्वारा कनहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरों बायीं कनहर नहर एवं दायीं कनहर नहर तथा इनसे निकलने वाली शाखाओं, अल्पिकाओं एवं राजवाहों के निर्माण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग के दुद्धी, विंढमगंज, एवं बघाडू रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 103.6750 हे० वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग के कोन रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 23.4887 हे० वन भूमि (कुल वन भूमि 127.1637 हे०) को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसकी माँग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता 100 वर्षों के लिए है, किन्तु वन विभाग के नियमानुसार लीज अवधि 25 वर्षों की होने के कारण 25 वर्ष की माँग की गयी है। आगे की अवधि हेतु तत्समय के नियमानुसार लीज का नवीनीकरण कराया जायेगा।



अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम,
पिपरी-सोनभद्र